

## “महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाओं की स्थिति—वर्तमान समय के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन”

रशमी गुप्ता

शोधार्थी  
ग्लोकल विश्वविद्यालय,  
सहारनपुर, (उ०प्र०)

डॉ धर्मन्द्र सिंह

शोध पर्यवेक्षक  
ग्लोकल विश्वविद्यालय,  
सहारनपुर, (उ०प्र०)

### सारांश

भारतीय संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार दिये गये। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की व्याख्या करता है, जिसके प्रकाश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही आजीविका प्राप्त करना तथा सामाजिक समानता प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ। अस्तु, पुनः महिला सशक्तिकरण का उद्घोष सामने आया। पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने पर महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार की आशाएं जगी हैं। इस व्यवस्था से महिलाएँ राजनीति में पहले के सापेक्ष अधिक सहभागिता निभा रही हैं और इनमें अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। आलोच्य जनपद बदायूँ भी इसी व्यवस्था के अन्तर्गत होने के कारण ग्रामीण महिलाओं में वहाँ भी नयी चेतना का विकास संभव हुआ है। डॉ रस्तगी के अनुसार— “महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक विकास एवं सहभागिता के संदर्भ को समझने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था ने स्थापित ग्रामीण संरचना की अव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। पारिवारिक संरचना, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्मिक व्यवस्था तथा मनोसम्प्रेषणात्मक मूल्यों को परिवर्तित किया है। सितम्बर 2008 में गठित होने वाली त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को पचास प्रतिशत किया गया है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है।”<sup>1</sup>

वस्तुतः पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के उपरांत ग्राम्य नारी की स्थिति में अपूर्व सुधार आया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधनों, जिला पंचायतों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में अब महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। जनपद बदायूँ में भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है।

जनपद बदायूं उत्तर भारत के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश के बरेली मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा बदायूं से मण्डल मुख्यालय बरेली की दूरी 48 किमी0 है। जनपद बदायूं की लम्बाई 114 किमी0, तथा चौड़ाई 60 किमी0 है। जिले का क्षेत्रापफल 51680 वर्ग किमी0 है। जनपद बदायूं की सीमाएं अन्य कई जिलों को स्पर्श करती हैं। जिला मुख्यालय बदायूं से मण्डल बरेली की दूरी 48 किमी0, शाहजहांपुर की दूरी 134 किमी0, पफरुखाबाद की दूरी 109 किमी0, एटा की दूरी 90 किमी0, अलीगढ़ की दूरी 131 किमी0, बुलन्दशहर की दूरी 163 किमी0, मुरादाबाद की दूरी 113 किमी0 तथा रामपुर की दूरी 100 किमी0 है।

जनपद बदायूं में कुल जनसंख्या में से 9,48,477 व्यक्ति साक्षर हैं। जनपद में कुल 6,65,856 पुरुष साक्षर हैं, अर्थात् कुल पुरुषों की जनसंख्या में से प्रति हजार 309 पुरुष साक्षर हैं, जबकि 2,82,621 महिलाएं साक्षर हैं अर्थात् प्रति हजार पर 202 महिलाएं साक्षर हैं। यद्यपि जनपद में साक्षर की स्थिति पर्याप्त कम है। महिलाओं की स्थिति और भी कम है। बदायूं विकास के मामले में एक पिछड़ा हुआ जिला है। यह भारत के सर्वाधिक दस पिछड़े हुए जनपदों में से एक है। यह शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा हुआ जनपद है। इसकी जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय व पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक है। इनका विकास अपेक्षाकृत बहुत पीछे छूट गया है। जनपद के विकास में महिलाओं के विकास की स्थिति और भी शोचनीय है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधन में उल्लिखित सुविधाएं इस जनपद के लिए अपवाद बन कर रह गयी हों।

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दिया गया, लेकिन तैंतीस प्रतिशत की यहां भागीदारी न केवल असंभव दिख रही है, बल्कि पुरुषवादी वर्चस्व की शिकार भारतीय राजनीति में यह एक असंभव लक्ष्य बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रा का दावा करने वाले हिन्दुस्तान में महिलाओं की न केवल संसदीय भागीदारी बहुत कम है, बल्कि चुनावों में प्रायः हिस्सेदारी भी बहुत कम है। आज भी उनके वोट पर उनका अपना अधिकार नहीं होकर प्रायः पिता, भाई और पति का अधिकार रहता है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का सराहनीय कार्य किया गया, परन्तु पुरुष प्रधन समाज द्वारा उन्हें आराम से अपना कार्य नहीं करने दिया जाता। कहीं परिवार के लोग बाध खड़ी करते हैं, तो कहीं सरकारी अपफसर जीने नहीं देते। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि धीरे-धीरे वे इन बाधों को पार करने में सक्षम हो रही हैं। महिलाएं अपने प्रति जागरूक होकर नित नये आत्मविश्वास से भरने लगी हैं। यह जागरूकता केवल नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। ग्रामीण महिलाएं भी, जो पहले ग्राम प्रधन, जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य तथा राजनीति की दलीय व्यवस्था में कहीं भी रहते हुए मात्रा अन्य हाथों की कठपुतली बनी हुई थीं, अब मुख्य होती हुई स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होने लगी हैं। जनपद बदायूं की ग्रामीण महिलाओं में भी ऐसी जागरूकता दिखलाई पड़ती है।

राजनीति में जो बदलाव देखने में आ रहे हैं, उनसे एक तथ्य सामने आता है कि आधुनिक राजनीति पहले तो वर्ग और जाति तक पहुंचकर लोगों को संवेदनात्मक रूप से प्रभावित करने की तरपक उन्मुख हुई। इसके पीछे मंशा रही कि लोग वर्ग एवं जातियों व धर्म के नाम पर सहज सहानुभूति रखते हैं। मानवमात्रा की यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, इसलिए उनकी भावनाओं का राजनीति ने लाभ उठाने का उपक्रम किया। लेकिन जब वर्ग व जातियों में एक के बजाए कई-कई प्रत्याशी बनकर सामने आने लगे, तब परिवारों व व्यक्ति-व्यक्ति को प्रभावित करके वोट प्राप्त

करने की जुगत राजनीति में उभर कर आयी। इसके जहाँ दुष्परिणाम ये रहे कि वोटों की संख्या के हिसाब से भुगतान एवं सुविधाएं देने का चलन राजनीति में पैदा हुआ, राजनीति भ्रष्टाचार का कुआं बनती गयी, वहीं व्यक्तिगत रूप से मतदाता प्रभावित हुआ और इससे महिलाओं में राजनीति के प्रति नई जागरूकता सामने आयी। इस जागरूकता को गति देने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की एक-तिहाई राजनीतिक भागीदारी ने किया। इससे महिलाएं पहले पंचायती क्षेत्रों में तथा पिफर प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर भी राजनीति में रुचि रखते हुए निर्णय लेने लगीं।

इन मुश्किलों को पार करते हुए आधी आबादी राजनीति में अपनी सूझबूझ से सांविधानिक मंशा की पूर्ति करने में सक्षम प्रतीत होने लगी है। बदायूं जनपद के संदर्भ में किये गये इस अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्रों में जब पंचायती राज व्यवस्था के वशीभूत स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सांविधानिक रूप से निश्चित हो गयी, तो पहले-पहल तो महिलाएं नाममात्रा को अपने पदों पर क्रियाशील हो पायीं, उनके पदों पर रहते हुए भी उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। लेकिन धैरे-धैरे महिलाएं राजनीतिक क्रियाशीलता को अपनाने लगीं, और वर्तमान में उनका राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। बदायूं जनपद के संदर्भ में अध्ययन की प्रस्तुति अग्रांकित द्रष्टव्य है—

‘जनपद के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पफलस्वरूप निर्वाचित ग्राम प्रधनों में महिलाओं की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब शासन में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भले ही यह वृद्धि महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण का परिणाम रही हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं, जब महिलाएं स्वतंत्रा रूप से राजनीति करते हुए दृष्टिगोचर होंगी। हालांकि नगरीय क्षेत्रों की महिलाएं शिक्षित होकर अपने प्रति अधिक जागरूक हुई हैं और इसका प्रभाव महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भी सकारात्मक रूप में पड़ा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार महिलाओं में अपेक्षाकृत कम होने के कारण, उनके प्रत्येक क्षेत्रों में जागरूकता भी कम हुई है। इसके उपरांत इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति के आधुनिकीकरण ने जिस नये वातावरण को प्रस्तुत किया है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में राजनीतिक सुगंगाहट होने लगी है।

जनपद के विकासखण्ड वजीरगंज में 45 ग्रामप्रधनों का चुनाव दिसम्बर 2010 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पफलस्वरूप हुआ। इनमें इक्कीस महिलाएं ग्राम प्रधन चुनी गयीं, जबकि पूरे विकासखण्ड में 24 पुरुषों को ग्राम प्रधन चुना गया। चुने गये ग्राम प्रधानों की शैक्षिक तुलना से पता चलता है कि महिलाएं अभी पर्याप्त पीछे हैं। विकासखण्ड के नये निर्वाचित प्रधनों में से स्नातक एक पुरुष तथा एक महिला, इण्टर तक एक पुरुष एक महिला, हाई स्कूल सात पुरुष तथा छः महिलाएं, कक्षा आठ उत्तीर्ण पांच महिलाएं व नौ पुरुष, जबकि कक्षा पांच उत्तीर्ण प्रधनों में दो महिलाएं और एक पुरुष थे। साक्षरों में मात्रा दो महिला प्रधन सम्मिलित थीं, तो निरक्षर प्रधनों में महिलाएं व पुरुष समान रूप से तीन-तीन की संख्या में रहे। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त ग्राम प्रधनों में दो पुरुषों की गिनती थी, महिला एक भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं थी, जिसका चुनाव ग्राम प्रधन के लिए हुआ हो .....

.. 2

जनपद के 'उसावां' विकासखण्ड के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 के पफलस्वरूप कुल 41 ग्रामप्रधनों का चुनाव किया गया। इनमें पुरुष ग्राम प्रधनों की संख्या 23 तथा स्त्री ग्राम प्रधनों की संख्या 18 थी। यह संख्या लगभग 44 प्रतिशत रही। एक—तिहाई महिला सीटों के आरक्षण के सापेक्ष 44 प्रतिशत महिलाओं का प्रधन चुना जाना, निश्चित रूप से राजनीति में महिलाओं की सहभागिता के अच्छे भविष्य की तरफ इंगित करता है। इस स्थिति के पीछे बहुत सीमा तक राजनीति का आधुनिकीकरण भी सहयोगी कहा जा सकता है।

विकासखण्ड 'उसावां' के ग्राम प्रधनों में महिला ग्राम प्रधनों की शैक्षिक स्थिति में बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधनों के लिए चुने जाने वाले लोगों का शैक्षिक स्तर अत्यंत न्यून है। इनमें साक्षरों की संख्या ही अधिक है, जबकि साक्षर को शिक्षित नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हों अथवा पुरुष, ग्राम प्रधान के रूप में कम ही राजनीति में उत्तरते हैं।

**वस्तुतः** विकासखण्ड उसावां के ग्राम प्रधनों में परास्नातक शिक्षा प्राप्त किसी भी वर्ग में कोई ग्राम प्रधन नहीं है। स्नातक शिक्षा प्राप्त ग्राम प्रधनों में एक महिला तथा दो पुरुष हैं, जबकि इण्टर श्रेणी में केवल तीन पुरुष ग्राम प्रधन बने, और महिला प्रधनों में कोई इण्टर किये हुए नहीं थी। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त 4 पुरुष प्रधन थे, महिला कोई नहीं। जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त 4 पुरुष एवं 3 महिलाएं ग्राम प्रधन बनीं। इसके अतिरिक्त निरक्षर भी 3 महिला ग्राम प्रधन तथा 2 पुरुष ग्राम प्रधान थे। साक्षर ग्राम प्रधनों की संख्या सबसे ज्यादा 11 महिलाएं ग्राम प्रधन तथा 8 पुरुष ग्राम प्रधन बदायूं जनपद के विकास खण्ड उसावां में बने थे।

विकास खण्ड उसावां में जहां ग्राम पंचायत खेड़ा किसनी पुख्ता की महिला ग्राम प्रधन श्रीमती सुशीला पहले भी दो बार ग्राम प्रधन रही हैं, वहीं ग्राम पंचायत ललोमई के श्री गिरजापाल पहले भी एक बार ग्राम प्रधन रहे हैं, तथा इसी क्रम में ग्राम पंचायत नौली पफतुहाबाद की श्रीमती पिलेसुता भी एक बार पहले भी ग्राम प्रधन रह चुकी हैं। गहन अध्ययन से ज्ञात होता है कि दो बार प्रधन रह चुकीं सुशीला और एक बार पहले ग्राम प्रधन रह चुके गिरिजापाल, दोनों ही अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तथा दोनों ही ग्राम पंचायतों में इस वर्ग के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। श्रीमती पिलेसुता भी एक बार पहले ग्राम प्रधन रह चुकी हैं। जबकि वह सामान्य वर्ग से हैं। विकासखण्ड के चयनित ग्राम प्रधनों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि एक स्त्री ग्राम प्रधन नौकरीपेशा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की है। दूसरी एक अन्य सामान्य वर्ग की ग्राम प्रधन ठेकेदार है। दो बार पहले प्रधन रह चुके गिरिजापाल भी दुकानदार हैं। शेष सारे ग्राम प्रधन व्यावसायिक रूप से कृषि पर आधिरित हैं। ऐसे में महिला ग्राम प्रधनों की आर्थिक स्वतंत्रता परिवार के मुखिया पर ही निर्भर रही होगी।

जनपद के विकासखण्ड 'उझानी' में कुल 61 ग्राम प्रधन निर्वाचित हुए, जिनमें 25 ग्राम प्रधान महिलाएं तथा 36 ग्राम प्रधन पुरुष चुने गये। यद्यपि विकासखण्ड की आधी आबादी की स्थानीय राजनीति में प्रतिशतता सांविधानिक भावना के अनुरूप तो 50 प्रतिशत होनी चाहिए थी, किंतु पंचायती राज व्यवस्था के वशीभूत एक—तिहाई हिस्सेदारी से कुछ अधिक रही। यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति के आधुनिकीकरण के पफलस्वरूप महिलाओं में जो जागरूकता आयी है, उसका प्रभाव उनकी राजनीतिक सहभागिता पर सकारात्मक पड़ा है, जबकि शैक्षिक स्तर का अन्तर दोनों वर्गों के ग्राम प्रधनों में पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है।

जनपद बदायूं के विकासखण्ड 'सालारपुर' के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 में कुल 66 ग्राम प्रधनों को चुनाव में निर्वाचित किया गया, जिनमें 28 स्त्री ग्राम प्रधन तथा 38 पुरुष ग्राम प्रधन चुने गये। इनमें महिलाओं

के लिए आरक्षित सीटों पर ही महिलाएं निर्वाचित हुईं, क्योंकि आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर पुरुष वर्ग चुनाव की दावेदारी नहीं कर सकता था।

‘विकासखण्ड सालारपुर के निर्वाचित ग्राम प्रधनों में भी जहां तमाम निर्वाचित पुरुष आर्थिक रूप से कृषि पर काबिज हैं, वहां महिला ग्राम प्रधन गृहणी के रूप में आर्थिक स्वावलम्बन से दूर हैं। विकासखण्ड के लिए निर्वाचित ग्राम प्रधनों में जब शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करते हैं, तो पूर्व के समान ही महिलाएं पीछे हैं। विकासखण्ड के ग्राम प्रधनों में महिला ग्राम प्रधान एक परास्नातक, जबकि स्नातक कोई महिला नहीं, इंटरमीडिएट भी कोई महिला ग्राम प्रधन नहीं, हाईस्कूल स्तर पर एक महिला तथा साक्षर 21, और पांच महिला ग्राम प्रधन अनपढ़ भी हैं। इनके सापेक्ष विकासखण्ड के लिए निर्वाचित पुरुष वर्ग में परास्नातक तो कोई पुरुष नहीं, तो अनपढ़ भी कोई पुरुष नहीं है। पुरुष ग्राम प्रधनों में एक स्नातक, दो इंटरमीडिएट, तीन हाई स्कूल, तथा 32 साक्षर हैं।’<sup>3</sup>

आलोच्य जनपद के विकासखण्ड इस्लामनगर के कुल 54 ग्रामप्रधनों का निर्वाचन त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 के परिणामस्वरूप हुआ। इनमें पुरुष ग्राम प्रधनों की संख्या 28, तथा इसके सापेक्ष 26 महिलाएं विकासखण्ड में ग्राम प्रधन चुनी गयीं। सारी की सारी महिलाएं अन्य विकासखण्डों की भाँति घर—गृहस्थी से बंधी महिलाएं हैं, और गृहणी के रूप में अपने घरों का दायित्व निर्वहन कर रही हैं। कोई भी महिला ग्राम प्रधन स्वतंत्रा रूप से आर्थिक स्वावलम्बी नहीं है। जबकि पुरुष वर्ग में चुने गये सभी ग्राम प्रधान कृषि व्यवसाय से संपृक्त हैं, और स्वाभाविक रूप से आर्थिक स्वावलम्बी हैं।

जनपद के विकासखण्ड ‘कादरचौक’ में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 में कुल 48 ग्राम प्रधनों में 22 महिलाएं ग्राम प्रधन के पद के लिए चयनित हुईं, शेष स्थानों पर 26 पुरुष ग्राम प्रधन बने। तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि इन महिला ग्राम प्रधनों में सभी अपने—अपने घर—गृहस्थी का संचालन करने वाली गृहणी महिलाएं थीं, जिन्हें प्रायः पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत एक—तिहाई आरक्षण की पूर्ति के लिए महिला आरक्षित स्थानों पर चुनावी दंगल में उतार कर परिवार वालों, जाति वालों, व धर्म वालों ने अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं को परवान चढ़ाया था। स्थानीय निकायों की राजनीति का सम्पूर्ण सत्य यही है कि आरक्षण व्यवस्था के बाद भी महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता के उद्देश्य तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। इसमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था सबसे बड़ा अवरोध बनकर सामने आती है। भारतीय समाज में प्रायः पुरुष को स्त्री के सापेक्ष अधिक बुभिन, अधिक शक्तिशाली तथा अधिक योग्य समझ लिया जाता है। इसलिए पति पुरुष के सामने पत्नी नारी की अपनी कोई इच्छा, महत्वाकांक्षा शेष नहीं रह जाती। यहां तक कि योग्य होने के उपरांत भी पत्नी को अयोग्य व अशक्य पति की इच्छा एवं निर्णय को ईश्वर वचन मानकर एक दासी के मानिन्द जीवन बिताना पड़ता है।

इस स्थिति में जिन महिलाओं को सक्रिय राजनीति में आने के अवसर किसी भी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी इच्छा तथा निर्णय वहां नहीं चलते, बल्कि उनके घर वालों, अर्थात् पति, पुत्रा अथवा अन्य किसी पुरुष संबंधी द्वारा थोपे हुए निर्णय क्रियान्वित होते हैं। इसमें एक तो भारतीय समाज के पुरुषवादी मानसिकता के संस्कार कार्य करते हैं, तथा दूसरे महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत अत्यंत कम होना भी है। “जनपद बदायूं के विकासखण्ड कादरचौक में दिसम्बर 2010 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के अवसर पर चुने गये प्रधनों के संदर्भ में देखा जा सकता है। विकासखण्ड के लिए चुनी गयी 22 महिला ग्राम प्रधनों में से मात्रा एक महिला ग्राम प्रधन इंटर तथा

बीस केवल साक्षर थीं। इनमें एक महिला प्रधन अनपढ़ भी थी, जबकि पुरुष ग्राम प्रधनों में तीन पुरुष ग्राम प्रधन स्नातक, दो इण्टर, एक हाई स्कूल तथा 20 पुरुष ग्राम प्रधन साक्षर थे। एक भी पुरुष ग्राम प्रधन पूरे विकासखण्ड में निरक्षर नहीं था।<sup>4</sup>

जनपद के विकासखण्ड 'जगत' के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 में निर्वाचित हुए ग्राम प्रधनों की कुल संख्या 62 थी, जिनमें पूरे पचास प्रतिशत अर्थात् 31 महिलाएं और 31 पुरुष हैं। विकास खण्ड में ग्राम प्रधनों की शैक्षिक पड़ताल करने पर पता चला कि परास्नातक दो पुरुष, स्नातक तीन पुरुष, इण्टर पांच पुरुष, हाईस्कूल चार पुरुष तथा पन्द्रह साक्षर पुरुष ग्राम प्रधन चुने गये। तीन पुरुष ग्राम प्रधन निरक्षर भी रहे। जबकि महिला ग्राम प्रधनों में परास्नातक व स्नातक कोई नहीं थी। इण्टर दो, हाईस्कूल एक, साक्षर बीस महिला ग्राम प्रधन हैं। जबकि आठ निरक्षर महिलाएं भी ग्राम प्रधन बनीं। कुल मिलाकर शैक्षिक रूप से महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा पीछे रही हैं।

जनपद के विकास खण्ड 'जगत' के सभी ग्राम प्रधन प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं। महिला प्रधनों का विवरण तथा निर्वाचित महिलाओं से संवाद करने पर ज्ञात हुआ कि वे ग्राम प्रधन पद के लिए अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अपने पति, पुत्रा अथवा बिरादरी के दबाव के कारण आगे आयी थीं। संवादित महिलाओं ने यह भी बताया कि चुनाव के समय उनसे तो कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गये हैं, या अंगूठा लगावा लिया गया है, अन्यथा चुनाव की बाकी तमाम प्रक्रियाएं परिवार व समाज के पुरुषों द्वारा मिलकर पूरी की गयी हैं। निर्वाचन सर्टिपिफिकेट लेने के समय अधिकारियों के सामने पारिवारिक पुरुषों के साथ वे भी मौजूद रही हैं। इसके अलावा गाँव में औरतों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए भी दो—चार बार घर—घर गयी हैं।

जनपद के विकासखण्ड 'समरेर' में कुल 52 ग्राम पंचायतों के लिए प्रधनों का निर्वाचन किया गया। इसमें दोनों वर्गों के पचास—पचास प्रतिशत अर्थात् 26 महिलाएं एवं 26 पुरुष प्रधन चुने गये। जनपद के समरेर विकासखण्ड में चुने गये प्रधनों में एक पुरुष ग्राम प्रधन एम०ए० एल०एल०बी०, एक परास्नातक, दो स्नातक, तीन इण्टर, सात हाईस्कूल, चार जूनियर हाईस्कूल, दो कक्षा पाँच, एक साक्षर तथा चार निरक्षर हैं। विकासखण्ड के महिला ग्राम प्रधानों में एक परास्नातक, एक स्नातक, तीन हाईस्कूल, पांच जूनियर हाईस्कूल, एक कक्षा पांच तथा एक साक्षर है, जबकि चौदह महिला ग्राम प्रधन निरक्षर हैं।<sup>5</sup>

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधनों के रूप में जो महिलाएं आती हैं, वे केवल आरक्षण के बलबूते पर सवार होकर सक्रिय राजनीति में कदम तो रख लेती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर अपने पुरुष रिश्तेदारों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती हैं।

आलोच्य जनपद के विकासखण्ड 'म्याउफ़' में कुल 57 ग्राम प्रधनों का निर्वाचन हुआ, जिनमें 25 महिलाएं ग्राम प्रधन चुनी गयीं। शैक्षिक रूप से दो महिलाएं और एक पुरुष ग्राम प्रधन स्नातक, 2 महिलाएं और चार पुरुष इण्टर, एक महिला और 4 पुरुष हाईस्कूल, 5 महिलाएँ और छः पुरुष जूनियर हाईस्कूल, 2 महिलाएँ और 1 पुरुष कक्षा पांच तथा 7 महिलाएँ और 7 पुरुष साक्षर हैं। चुने गये ग्राम प्रधनों में एक पुरुष ग्राम प्रधन अनपढ़ है। वहीं 11 महिला ग्राम प्रधन भी निरक्षर हैं। विकासखण्ड के ग्राम प्रधनों में एक महिला ग्राम प्रधन और एक पुरुष ग्राम प्रधन बी०ए० किये हुए हैं। आर्थिक रूप से एक महिला ग्राम प्रधन का अपना व्यवसाय है, जबकि एक पुरुष ग्राम प्रधन ड्राइवर,

एक पुरुष ग्राम प्रधन ठेकेदार, तथा एक पुरुष ग्राम प्रधन बी0ए0एम0एस0 डॉक्टर है। इसके अतिरिक्त पुरुष वर्ग प्रायः कृषिकार्य से जुड़ा हुआ है, और महिलाएँ गृहणी के रूप में घर के दायित्वों को संभाल रही हैं।

“जनपद के विकासखण्ड ‘सहसवान’ में भी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत कई महिलाएं ग्राम प्रधन चुनी गयीं। इसी के साथ–साथ त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन में जिला पंचायत के लिए 49 व्यक्तियों का निर्वाचन हुआ, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। 29 महिलाएं और 20 पुरुष चुने गये। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी स्त्री का चयन हुआ। जिला पंचायत सदस्यों में एक महिला सदस्य एम0बी0ए0 के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त तीन महिला सदस्य परास्नातक, तीन महिला सदस्य स्नातक, दो महिला सदस्य हाईस्कूल, तीन महिला सदस्य जूनियर हाईस्कूल, तथा आठ महिला सदस्य साक्षर हैं जबकि आठ महिला सदस्य निरक्षर हैं। पुरुषों में दो सदस्य परास्नातक, छः पुरुष सदस्य स्नातक, छः पुरुष सदस्य इण्टर, छः पुरुष सदस्य हाई स्कूल, तीन पुरुष सदस्य जूनियर हाईस्कूल, तथा दो पुरुष सदस्य साक्षर हैं।”<sup>6</sup>

इस प्रकार जनपद में ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता का ग्रापफ तो बढ़ा है, लेकिन शैक्षिक व आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण महिलाएं अभी राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। किंतु आने वाले समय में महिलाएं न केवल राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगी, बल्कि स्वतंत्रा रूप से राजनीति में प्रवेश करेंगी। यह स्थिति महिलाओं को राजनीति में दिये गये आरक्षण के परिणाम के रूप में होगी।

महिलाओं पर किए गये अध्ययन के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं असंगठित क्षेत्रों की श्रमिक होने के कारण शोषित होती रही हैं। राजनीतिक आरक्षण के उपरांत भी राजनीति में वही वर्ग आगे आता है, जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। ऐसे वर्ग की महिलाएं भी अपने रिश्तेदार पुरुषों के द्वारा राजनीतिक गोटी बनकर रह जाती हैं, जब वह राजनीतिक निर्णय लेने में स्वतंत्रा नहीं, तो पिफर महिला वर्ग के सम्बन्ध में कर ही क्या सकती हैं।

जनपद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में आबाद तथा गैर–आबाद, दोनों मिलकर कुल 2081 गाँव हैं, जिनके सापेक्ष 1064 ग्रामसभाएं हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पफलस्वरूप 2010 में कुल 566 ग्राम प्रधन निर्वाचित हुए। इनमें 315 ग्राम प्रधन पुरुष, तथा 251 ग्राम प्रधन महिलाएं हैं।<sup>7</sup> जनपद के विभिन्न विकास खण्डों की 62 महिला ग्राम प्रधनों के पास जाकर साक्षात्कार किया गया। उनसे जो प्रश्न किये गये, वे मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधरित थे कि उनसे महिलाओं की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सके, क्योंकि राजनीति का आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पर्याप्त ग्राम पंचायतों में प्रधनों के पद पर जो महिलाएं पहुंची हैं, उनमें राजनीति के प्रति कितनी रुचि, कितनी योग्यता, कितना साहस और कितना उत्साह उत्पन्न हुआ है क्योंकि यही सब जाग्रत करना राजनीतिक सहभागिता की भारी विमर्श का उद्देश्य भी है। लेकिन उत्तरदाता महिला ग्राम प्रधनों में राजनीतिक जिम्मेदारी संभालने तथा उनका निर्वहन करने का उत्साह व रुचि तो प्राप्त होती है, लेकिन वह संबन्धी पुरुषों द्वारा खींची गयी सीमा रेखा को पार करने का साहस नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि ये सीमा रेखाएं सामाजिक मर्यादाओं के रूप में महिलाओं के लिए वर्जना बन चुकी हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रश्न का हल केवल महिलाओं को राजनीति में प्रदान किया गया आरक्षण मात्रा नहीं है, बल्कि इससे भी आवश्यक है वर्जना बन चुकी रुद्धिवादी सीमाओं को समाप्त करना।

आलोच्य जनपद में जहाँ 315 पुरुष ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं, वहीं 251 महिलाएं भी ग्राम प्रधन के रूप में राजनीति में प्रवेश पा चुकी हैं। लेकिन जब 62 महिलाओं से साक्षात्कार रूप में हमने संवाद स्थापित किया, तो दो या तीन प्रतिशत ग्राम प्रधान महिलाएं ऐसी मिलीं, जिन्होंने साहस के साथ आगे बढ़कर वर्जनाओं को तोड़ते हुए ग्राम पंचायतों के हित में स्वतंत्रा रूप से निर्णय लिये। उन्होंने इन निर्णयों में ग्रामसभा के तालाब और पोखरों पर जो कब्जा अवैध रूप से किया गया था, उसे हटवाया। किसी ने उन रास्तों को भी सुचारू करवाया, जो गांव की गुटबाजी के चलते बन्द थे। एक महिला ग्राम प्रधन ने अपने पति की मर्जी के विरु( भी तालाब को कब्जामुक्त कराया क्योंकि जिस व्यक्ति का तालाब पर कब्जा था, गांव की गुटबाजी के तहत ग्रामप्रधन महिला का पति भी कब्जे वाले गुट में सम्मिलित था। इस तरह महिलाओं ने स्वतंत्रा निर्णय लेकर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के उद्देश्य को उचित संरक्षण दिया। जबकि अन्य महिलाएं ग्राम प्रधन के रूप में चुनी जाने के बाद भी अपने रिश्तेदारों के निर्णयों से बंधे हुई रही हैं। इससे महिलाओं में शिक्षा की कमी महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। बदायूं जनपद की महिलाएं भी इससे अप्रभावित नहीं हैं।

जनपद के त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों के तहत सन् 2010 में चुनी गयी ग्राम प्रधनों की शैक्षिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अध्ययन के मुताबिक पाँच प्रधन महिलाएं परास्नातक हैं, जबकि ग्राम प्रधन पुरुषों में चार प्रधन परास्नातक शिक्षा प्राप्त हैं। स्नातक वर्ग में मात्रा आठ महिलाएं ही आती हैं, जबकि 28 पुरुष ग्राम प्रधन स्नातक हैं। इसी प्रकार इंटर कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्ग में महिलाओं की संख्या 9 है, जबकि पुरुष ग्राम प्रधनों में 35 पुरुष इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं। हाईस्कूल वर्ग में 20 महिला ग्राम प्रधन आती हैं और पुरुष ग्राम प्रधनों में 47 पुरुष हाईस्कूल की परीक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल वर्ग में 29 महिलाएं तथा 37 पुरुष ग्राम प्रधन आते हैं। सन् 2010 के त्रिस्तरीय पंचायती निर्वाचन में सामान्य रूप से 11 वे महिलाएं ग्राम प्रधन चुनी गयीं, जो कक्षा पांच तक पढ़ी—लिखी थीं, जबकि 9 पुरुषों ने कक्षा पांच किया था, जो ग्रामों के लिए प्रधन चयनित हुए। इसी क्रम में 81 वे महिलाएं ग्राम प्रधन बनीं, जो शिक्षा के नाम पर केवल साक्षर थीं। 62 पुरुष ग्राम प्रधन भी मात्रा साक्षर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 71 महिलाएं तथा 17 पुरुष भी निरक्षर रहते हुए ग्राम प्रधन चुने गये।<sup>8</sup>

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर बाहरी कार्यक्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। सम्भवतया इसीलिए वर्तमान इकीसर्वीं शताब्दी को “महिलाओं की शताब्दी” भी कहा गया है। भारतीय त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तिहत्तरवें तथा चवहत्तरवें संविधन संशोधन अधिनियम के पफलस्वरूप देश की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो जाने से देश की लगभग चौदह लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न प्रकार के अधिकार एवं दायित्व प्राप्त हुए हैं।<sup>9</sup>

चूंकि ग्राम प्रधन महिलाओं के पुरुष रिश्तेदार मुख्य रूप से इसलिए अपने निर्णय उन पर थोपते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांवों की गुटबाजियों के चलते प्रधन पदों पर आसीन उनकी रिश्तेदार महिलाएं गुटबाजी से पार नहीं पा सकेंगी। अतः पुरुष वर्ग सामने आता है। इसी के साथ अनेक बार जब महिलाएं निर्णय लेने लगती हैं, तो इससे


पुरुषों को पुरुष होने का अहंकार सताने लगता है और वे किसी रूप में अपनी ही रिश्तेदार महिलाओं को निर्णय लेने से रोक देते हैं।

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि गांवों की गुटबाजियां मानो शाश्वत और सनातन हो चुकी हैं। उनका समाप्त होना असंभव नहीं, तो अत्यंत मुश्किल अवश्य है। इसलिए यदि यही स्थिति अधिक दिनों तक चलती रही, तो निश्चित रूप से जो महिलाएं राजनीति में सहभागिता निभा रही हैं, उनमें निराशा घर कर जाएगी, और महिला सहभागिता का विचार ही अपने केन्द्र से हट जाएगा। इसलिए जिस प्रकार सांविधानिक संशोधनों के द्वारा राजनीति में महिलाओं की सहभागिता आरक्षित की गयी है, वैसे ही इस सहभागिता को अक्षण्ण बनाने के लिए पुनः संसद को ही गंभीरता के साथ कदम उठाने की आज अत्यंत आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो राजनीति के आधुनिकीकरण की कल्पना ही औचित्यहीन हो जाएगी।

### **—: सन्दर्भ सूची :-**

1. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, सं०— डॉ० वन्दना शर्मा, डॉ० रमेश त्रिपाठी, डॉ०, आशीष दीक्षित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित जर्नल, सं०— 2011, लेख— महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, डॉ० अशोक रस्तगी, सुमित कुमार, पृ०—45
2. त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पफलस्वरूप निर्वाचित ग्राम प्रधनों का विवरण, दिसम्बर—2013, चुनाव कार्यालय जनपद बदायूं
3. चुनाव कार्यालय जनपद बदायूं से प्राप्त आंकड़ों के आधर पर।
4. त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन— 2015, जनपद बदायूं की रिपोर्ट, चुनाव कार्यालय— जनपद बदायूं
5. चुनाव कार्यालय, जनपद बदायूं की रिपोर्ट
6. चुनाव कार्यालय, जनपद बदायूं की रिपोर्ट
7. चुनाव कार्यालय, जनपद बदायूं से प्राप्त आंकड़ों के आधर पर
8. चुनाव कार्यालय, जनपद बदायूं से प्राप्त आंकड़ों के आधर पर
9. Seila Bhalla :- "Tecnological Change and Women Workers : Evidence From the Expansionary Phase in Haryana Agriculture" EPN 24, N0. 43, 28-10-1989, P-168

# SHIKSHA SAMVAD



An Online Quarterly Multi-Disciplinary  
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal  
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87  
Volume-02, Issue-01, Sept.- 2024  
[www.shikshasamvad.com](http://www.shikshasamvad.com)  
Certificate Number-Sept-2024/42

## Certificate Of Publication

*This Certificate is proudly presented to*

रशमी गुप्ता और डॉ धर्मेन्द्र सिंह

For publication of research paper title

“महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाओं की स्थिति—वर्तमान समय के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन”

Published in ‘Shiksha Samvad’ Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-02, Issue-01, Month September, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

  
Dr. Neeraj Yadav  
Editor-In-Chief

  
Dr. Lohans Kumar Kalyani  
Executive-chief- Editor

**Note:** This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at [www.shikshasamvad.com](http://www.shikshasamvad.com)